52

सूचना का अधिकार/अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

कमाक :प 22(12)प्रसु/सू.अ.प्र./2010 जयपुर,दिनांकः– 20.12.10

परिपत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 आम जनता के द्वारा वांछित सभी सूचनायें (जो नियमानुसार देय हों) निश्चित समय सीमा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। ऐसा संज्ञान मे आया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही जाने वाली सूचना को उपलब्ध कराये जाने में अड़चन पैदा करते है। इस संबंध में पूर्व में भी राज्य सरकार द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये है, जिनकी पूर्ण पालना लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं की जाती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय दण्ड संहिता में ऐसे पर्याप्त प्रावधान है जो राज्य में कानून लागू करने वाली मशीनरी को ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध जो सूचना के अधिकार अधिनियम को सरलता से लागू करने में अड़चन पैदा करते हों, को सख्त निरोधात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम है।

इसी प्रावधान के मध्यनजर लोक सूचना अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू किये जाने हेतु संवेदनशील होना आवश्यक है। राज्य स्तर पर यदि कोई लोक सूचना अधिकारी सूचना देने में लापरवाही करता है या चाही जाने वाली सूचना को उजागर करने का मामला ध्यान में आता हैं तो उसकी तुंरत जांच की जावे ओर दोषी पाये जाने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जावें।

(डा0 अशोक सिंघवी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास एवं विकास आयुक्त एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी शासन सचिवालय जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिवगणो को भेजकर निवेदन है कि अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश अपने स्तर से जारी करें।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स/पुलिस अधीक्षक को भेजकर निवेदन है कि अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश अपने स्तर से जारी करें।
7. समस्त निगम/बोर्ड /स्वतशासी संस्थाऐं को भेजकर निवेदन है कि अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश अपने स्तर से जारी करें।
8. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, ओटीएस, जेएलएन मार्ग जयपुर।
9. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर को भेजकर लेख है कि इस परिपत्र को प्रदेश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने का श्रम करें।
10. प्रभारी अधिकारी (आयोजना) ओटीएस, जेएलएन मार्ग जयपुर।
11. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग को भेजकर लेख है कि परिपत्र को वेबसाइट पर अपडेट (अद्यतन) कराने का कष्ट करावें।
12. रक्षित पत्रावली।

12.12.10